कार्यालय नगर परिषद, परिषद, देवरिया।

पत्रांक 705 / स0अनु0–2016–17 / देवरिया दिनांक: 20/8/16

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के सफाई अनुभाग के अन्तर्गत पालिका निधि / राज्य वित्त / 14वॉ वित्त से निम्न आपूर्ति / वाहन रैम्प निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश के अधिकृत डिलरो से मुहर बन्द निविदा / दर दिनांक 7/9/16 को 3.00 बजें तक आमत्रित की जाती है, जो जिलाधिकारी देवरिया कार्यालय के एल.बी.सी. पटल पर रखे गये निविदा बाक्स में निर्धारित तिथि / समय तक डाली जायेगी तथा उसी दिन इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप सें 3.30 बजें खोली जायेगी। निविदा / दर तिथि को अवकाश होने की दशा में अगलें कार्य दिवस पर डाली / खोली जायेगी। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के पक्ष में राष्ट्रीय कृत बैंक से एफ.डी.आर. / टी.डी.आर. / एन.एस.सी. / के.बी.पी., फार्भ–5 पर नगद आदि के रूप में निर्गत हो तथा आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि चेक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा / दर के साथ डीलरशीप का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। डीलर प्रमाण पत्र संलग्न कर, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र दिनांक 6/9/16 को प्रातः 11.00 बजें से सायं 3.00 बजें तक कार्यालय नगर पालिका परिषद देवरिया सफाई अनुभाग एवं कलेक्ट्रेट स्थित एल.बी.सी. पटल से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। उक्त विज्ञापन को कलेक्ट्रेट देवरिया के चालू बेवसाइड www.Deoria.nic.in or www.municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है। एक अथवा सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी / अध्यक्ष नगर पालिका परिषद देवरिया में निहित होगा। अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित पटल से प्राप्त किया जा सकता है।

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य	कार्यावधि
1	मीनी पोकलैण्ड चेन वाला (नाला सफाई हेतु)	2,00,000=00	1960=00	01 माह 15 दिन
2	हार्ड ड्रोलिक टिपर ट्रक एकअदद	1,50,000=00	1470=00	01 माह 15 दिन
3	गाड़ी धुलाई हेतु रैम्प निर्माण कार्य।	25000=00	260=00	01 माह 15 दिन
4	रिक्शा ठेला कन्टेनर प्रति अदद	3000=00	50=00	01 माह 15 दिन

निविदा के साथ 2 प्रतिशत जमानत धनराशि व एग्रीमेन्ट के साथ 8 प्रतिशत जमानत धनराशि कुल 10 प्रतिशत जमानत धनराशि देय होगा।

नियम व शर्ते :–

1– निविदा फार्म में दिये गये निर्धारित कालम में दर स्पष्ट रूप में अंकित करना अनिवार्य होगा।

2– समस्त निविदादाता को कम्पनी द्वारा निर्गत रेट लिस्ट एवं कैटलाग दर निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जो आन लाइन देखा जा सकता हो। मेंक, माडल, निर्माण वर्ष, कम्पनी का स्पष्ट नाम आदि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा।

3– वाहनो के निविदा में वाहनों का बीमा व रजिस्ट्रेशन आदि सम्मलित होगा, जो निविदादाता द्वारा कराया जायेगा।

4– निविदा स्वीकृति के पश्चात न्यूनतम निविदादाता को वाहनो का रजिस्ट्रेशन, बीमा व ए.आर.टी.ओ. एवं उपजिलाधिकारी सदर देवरिया से भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात बिल बाउचर भुगतान हेतु कार्यालय मे प्रस्तुत करेगें।

5– शासनादेश सं0 38 / 2015 / 1545 / एक–4–15–16बी–4 / 15 टी0सी0 दिनांक 28.10.2015 के अनुपालन में वाहन आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश के अधिकृत डिलर ही निविदा में भाग ले सकते है।

3– क्रय आपूर्ति वाहन / उपकरणो का फोटोग्राफी निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसपर अधिशासी अधिकारी द्वारा अपना हस्ताक्षर किया जायेगा।

7– वाहनो / उपकरणों के समस्त कागजात के साथ भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करना होगा। तदोपरान्त भुगतान देय होगा। उक्त के अभाव में भुगतान देय नहीं होगा।

8– समस्त वाहनो / उपकरणों पर नियमानुसार वारन्टी अवधि (वारन्टी अवधि का समय कितना होगा स्पष्ट निविदा पर उल्लेख करना अनिवार्य होगा) में सर्विसिंग एवं मरम्मत सम्बन्धित सामग्री को निर्धारित अवधि में कम्पनी द्वारा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि देय नहीं होगी। वारन्टी अवधि समाप्ति के उपरान्त ही जमानत धनराशि देय होगी।

9– जमानत से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र गलत पाये जाने की दशा में अधिकृत डीलर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया द्वारा निर्णय लिया जायेगा। किसी भी विवाद की दशा में मुकदमा स्थानीय न्यायालय देवरिया में होगा।

(निलेश रमन)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,देवरिया।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक व दिनांक तदैव,

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार दैनिक जागरण / स्वतंत्र चेतना को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना सरकारी दर पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।

2– अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0) / प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, देवरिया।

3– एन.आई.सी. प्रभारी, कलेक्ट्रेट, देवरिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने वेवसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

4– रवि प्रकाश श्रीवास्तव, कम्प्यूटर कक्ष, को इस आशय से कि पालिका के बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।

5– नोटिस बोर्ड, नगर पालिका, कलेक्ट्रेट, तहसील, लो0नि0वि0, विकास भवन देवरिया पर चस्पा हेतु।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष